

08-09

रांची समाहरणालय रांची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश

माननीय श्री परिमल नाथवानी, सांसद/विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि शैथिली भूमि उपलब्ध हो तो योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल द्रिवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है त्साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र०वि०पदा०/अ०पदा०/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, रांची/उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत	विमुक्त राशि 50 प्रतिशत
1.	ग्राम कवाली में खेल मैदान का समतलीकरण एवं गैलरी का निर्माण	19.97	19.97	9.985
2.	हेसापीड़ी और उलीडीह के बीच रायसा नदी पर पुलिया निर्माण	24.888	24.688	12.344
				22.329

कुल:-

कुल राशि- 22.329 (कुल बाईस लाख बत्तीस हजार नौ सौ रुपये मात्र)

- नोट:-
- 1-योजना का कार्य स्थानीय श्रमिक समुह के माध्यम से कराएंगे।
 - 2- योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त,
रांची।

जापाक 38/ रांची दिनांक: 16-01-09

प्रतिलिपि:- माननीय श्री परिमल नाथवानी, सांसद/विधायक/पार्षद जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
रांची।

08-09

11
2

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश
(सांसद मद)

माननीय श्री परिमल नाथवानी, सांसद(राज्य सभा)/विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची/सहायक अभियंता प्रभारी नामकुम प्रखण्ड द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची की देख रेख में करना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र0वि0पदा0/अं0पदा0/ कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची/उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत	विमुक्त राशि 50 प्रतिशत
1.	जामजुवा घासीटोला में सामुदायिक भवन का नि०	4.305	4.305	2.1525
2.	पं० हहाप के ग्राम उलीडीह में स्कूल भवन का नि०	4.432	4.432	2.2160
3.	आर०सी०मिशन स्कूल कब्जाली में (पं०सिदरील)स्कूल भवन निर्माण	15.000	15.000	7.5000
4.	जामजुवा जोजोटोली में सामुदायिक भवन का नि०	8.737	8.757	4.3785
5.	जामजुवा पं० रामपुर में स्कूल भवन का निर्माण	8.849	8.849	3.4245
6.	ग्राम जरिया माराडीह टोली में सामुदायिक भवन नि०	3.823	3.823	1.9115
7.	लखन तुरी के घर के पास चापाकल	0.4123	0.4123	0.20615
8.	बुधु तुरी के घर के पास चापाकल	0.4123	0.4123	0.20615
9.	उलीडीह पतराटोली में सा० भवन के पास चापाकल	0.4123	0.4123	0.20615
10.	जोटो मुण्डा के घर के पास चापाकल	0.4123	0.4123	0.20615
11.	महावीर मुण्डा के घर के पास चापाकल	0.4123	0.4123	0.20615
12.	लदना पीरीटोला यात्री रोड के पास चापाकल	0.4123	0.4123	0.20615
13.	उलीडीह खास में डोमन मुण्डा के घर के पास चापाकल	0.4123	0.4123	0.20615
15.	लदना अखरा के पास चापाकल	0.4123	0.4123	0.20615
16.	राशन दूकान के पास चापाकल	0.4123	0.4123	0.20615

2

17.	ग्राम रामपुर सेवाटोली कासा भवन के पास चापाकल ✓	0.4123	0.4123	0.20615
18.	घासी टोली में चापाकल ✓	0.4123	0.4123	0.20615
19.	नीचे टोली में चापाकल ✓	0.4123	0.4123	0.20615
20.	जामचुवा अधरा सोहरा के घर के पास चापाकल ✓	0.4123	0.4123	0.20615
21.	जामचुवा लोवाटोली देवलकरा के घर के पास चापाकल ✓	0.4123	0.4123	0.20615
22.	जामचुवा लोवाटोली के मध्य में चापाकल ✓	0.4123	0.4123	0.20615
23.	जरैया में सराये टोला नारायण सिंह बिशिया के घर के पास चापाकल ✓	0.4123	0.4123	0.20615

कुल योग:- 50.1751 50.1751 25.08755

कुल विमुक्त राशि- 25.08755 (कुल पच्चीस लाख आठ हजार सात सौ पचपन रुपये मात्र)

- नोट- 1-योजना का कार्यान्वयन स्थानीय श्रमिक समुह के माध्यम से कराएँगे।
2- योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त,
रांची।

ज्ञापक- 10841 रांची दिनांक- 02-02-09

- प्रतिलिपि:-माननीय श्री परिमल नाथवानी, सांसद / कार्यपालक अभियंता, एन0 आर0 ई0 पी0
-II, रांची / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नामकुम को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
रांची।

उप विकास आयुक्त

नामकुम

22-02-09
उप विकास आयुक्त
नामकुम

09-10

राँची (राज्य सभा)

20

पत्रांक..... 612 (1) / वि०
दिनांक..... 7.8.2009 /

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
राँची

सेवा में,

उपायुक्त,
लोहरदगा / गुमला / दुमका / गोड्डा

विषय:- माननीय सांसद (राज्य सभा) श्री परिमल नाथवाणी द्वारा अनुशंसित योजनाओं के लिए राशि का चेक निर्गत करने के संबंध में।

महाराज,

विश्वनाथ

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सांसद द्वारा निम्नांकित योजनाओं के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सांसद मद निधि से राशि विमुक्त हेतु अनुशंसा की गयी है।

राशि लाख में

क्र० सं०	योजना का नाम	संबंधित जिले का नाम	अनुशंसित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	झखरा कुम्भा जतरा स्थल में सामुदयिक भवन निर्माण	लोहरदगा	8.00	
2	लोहरदगा अंजुमन अस्पताल भवन निर्माण	तदैव	8.00	
3	गुमला अंजुमन अस्पताल भवन निर्माण	गुमला	7.00	
4	सेमरा चौक भण्डरा में पड़हा भवन एवं चापाकल निर्माण	तदैव	8.00	
5	पोड़ैया बस स्टैण्ड में यात्री शोड एवं शौचालय निर्माण	गोड्डा	8.00	
6	सरैया हाट बस स्टैण्ड में यात्री शोड एवं शौचालय निर्माण	दुमका	8.00	

2. संबंधित योजना का माननीय सांसद के अनुशंसा पत्र की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

3. अनुशंसित योजनाओं का क्रियान्वयन MPLADS के दिशा निर्देश के आलोक में कराया जाए एवं प्रत्येक माह की 5 वी तारीख तक योजना का व्यय प्रतिवेदन एवं भौतिक स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन इस जिले को उपलब्ध करायी जाय।

4. योजना के पूर्ण होने के उपरान्त उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में इस जिले को उपलब्ध कराया जाय।

5. विमुक्त राशि का चेक प्राप्त करने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारी को प्राधिकृत करने का कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त,
राँची

राँची समाहरणालय राँची
(विकास शाखा)
कार्यालय आवेदना

09-10

माननीय श्री परिमल नाथवाणी, सांसद(राज्य सभा) द्वारा अनुशासित निम्न योजनाओं के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-1 राँची द्वारा तकनीक स्वीकृति के प्रदान की गयी है। माननीय सांसद की अनुरोधा एवं योजना के प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीक स्वीकृति के आलोक में इन योजनाओं के लिए उपायुक्त, राँची द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो योजना के लिए भूमि का वैधानिक हस्तान्तरण सरकार के पक्ष में होना चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रायोजन के लिए नहीं होंगे चाहिए।
4. योजना के कार्यान्वयन कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-1 राँची की पर्यवेक्षण में करायेगे। निर्माण कार्य में कार्य एवं सामग्रियों की गुणवत्ता को ध्यान में कार्य में रखते हुए प्राक्कलन के अनुपूरुप 03(तीन) माह के अन्दर पूर्ण किया जाय।
5. योजना के निर्माण कार्य का तकनीक पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन, सहायक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-1 राँची करेंगे एवं कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-1 राँची समुचित दिशा निर्देश उपलब्ध करायेगे।
6. स्वीकृति योजना यदि किसी अन्य मद से स्वीकृत/ ली गई हो तो इस योजना को अविलम्ब स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
7. स्वीकृत योजना की अग्रिम राशि का चेक विकास शाखा के नाजीर से प्राप्त कर लेंगे।

(राशि लाख में)

क्र0सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	विमुक्त राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	आदिवासी छात्रावास राँची में पुस्तकालय एवं शौचालय निर्माण	10.00	10.00	5.00	
2	जतरा स्थल मुड़मा में पड़हा भवन एवं हैंड पम्प निर्माण	8.00	08.00	4.00	
	कुल योग:-	18.00	18.00	9.00	

कुल विमुक्त राशि नौ लाख रूपये मात्र।

निदेशक,
राँची। 01/09/09

उप विकास आयुक्त,
राँची।

ज्ञापक..... 694 (11) दिनांक 01/09/09

- प्रतिलिपि:- माननीय श्री परिमल नाथवाणी, सांसद (राज्य सभा) के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-1 राँची को सूचनार्थ प्रेषित/अनुरोध है कि विकास शाखा से चेक प्राप्त करने हेतु कार्यालय नाजीर को प्राधिकृत की जाय।
प्रतिलिपि:- नाजीर विकास शाखा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
राँची। 01/09/09

उप. विकास आयुक्त,
राँची।

09-10
27

राँची समाहरणालय राँची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश

माननीय श्री परिमल नाथवाणी, सांसद(राज्य सभा) द्वारा अनुशंसित निम्न योजनाओं के प्राक्कलन पर अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-1 राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्रदान की गयी है। माननीय सांसद की अनुशंसा पर के प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इन योजनाओं के लिए उपायुक्त, राँची द्वारा निम्नांकित साथ प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो योजना के लिए भूमि का वैधानिक हस्तान्तरण सरकार में होना चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रायोजन के लिए नहीं होनी चाहिए
4. योजना के कार्यान्वयन कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-1 राँची की पर्यवेक्षण में करायेगे। निर्माण कार्य एवं सामग्रियों की गुणवत्ता को ध्यान में कार्य में रखते हुए प्राक्कलन के अनुपारूप 03(तीन) अन्दर पूर्ण किया जाय।
5. योजना के निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन, सहायक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-1 राँची कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-1 राँची समुचित दिशा निर्देश उपलब्ध करायेगे।
6. स्वीकृति योजना यदि किसी अन्य मद से स्वीकृत/ ली गई हो तो इस योजना का अविलम्ब स्थगित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेगे।
7. स्वीकृत योजना की अग्रिम राशि का चेक विकास शाखा के नाजीर से प्राप्त कर लेंगे।

(राशि लाख में)

क्र0सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	विमुक्त राशि	अभ
1	2	3	4	5	
1	घासी टोला में सामुदायिक भवन निर्माण	0.50	0.50	0.25	
2	जामबुवा मध्य विद्यालय परिसर में ट्यूब वेल निर्माण	0.50	0.50	0.25	
3	सामुदायिक भवन मारडोह का निर्माण	0.50	0.50	0.25	
4	आर0सी0 मिशन स्कूल,बड़ा कवाली परिसर में ट्यूब वेल निर्माण	0.50	0.50	0.25	
5	उलीडोह परिसर में ट्यूब वेल निर्माण	0.50	0.50	0.25	
6	लतरडोह स्कूल परिसर में ट्यूब वेल निर्माण	0.50	0.50	0.25	
	कुल योग:-	3.00	3.00	1.50	

कुल विमुक्त राशि एक लाख ~~पच्चीस~~ हजार रुपये मात्र।

[Signature]
उप विकास आयुक्त,
राँची

ज्ञापक... 781... दिनांक... 6/10/09

प्रतिलिपि:- माननीय श्री परिमल नाथवाणी, सांसद (राज्य सभा) के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-1 राँची को सूचनार्थ प्रेषित/अनुरोध है कि विकास शाखा से करने हेतु कार्यालय नाजीर को प्राधिकृत की जाय।

प्रतिलिपि:- नाजीर विकास शाखा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
उप विकास आयुक्त,
राँची

रौंची समाहरणालय रौंची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश

09-10
(32)

माननीय श्री परिमल नाथवाणी, सांसद (राज्य सभा) द्वारा अनुशंसित निम्न योजनाओं के प्राक्कलन पर जिला अभियन्ता, जिला परिषद, रौंची द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्रदान की गयी है। माननीय सांसद की अनुशंसा एवं योजना के प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इन योजनाओं के लिए उपायुक्त, रौंची द्वारा निर्मांकित राशियों के साथ प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो योजना के लिए भूमि का वैधानिक हस्तान्तरण सरकार के पक्ष में होना चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रायोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना के कार्यान्वयन कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-2 रौंची की पर्यवेक्षण में करायेगे। निर्माण कार्य में कार्य एवं सामग्रियों की गुणवत्ता को ध्यान में कार्य में रखते हुए प्राक्कलन के अनुरूप 03(तीन) माह के अन्दर पूर्ण किया जाय।
5. योजना के निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन, सहायक अभियन्ता, रौंची करेगे एवं कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-2 रौंची समुचित दिशा निर्देश उपलब्ध करायेगे।
6. स्वीकृति योजना यदि किसी अन्य मद से स्वीकृत/ ली गई हो तो इस योजना को अखिलम्ब स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेगे।
7. स्वीकृत योजना की अग्रिम राशि का चेक विकास शाखा के नाजीर से प्राप्त कर लेंगे।

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रा० रा०	प्रशा० स्वी० राशि	अग्रिम की राशि 50%	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पं० सिदरील के बड़ा कब्बाली में करम तालाब पर 200 गार्डवाल निर्माण	2.00	2.00	1.00	
2	पं० सिदरील के बड़ा कब्बाली में अखरा स्कूल तक 300 पी०सी०सी० पथ निर्माण	3.00	3.00	1.50	
3	पं० हहाप के उलीडोह खास में चक टैम के पास गार्डवाल निर्माण	5.00	5.00	2.50	
4	पं० हहाप के उलीडोह पतराटोली में पुलिया एवं नरेगा रोड पर गार्डवाल निर्माण	4.00	4.00	2.00	
5	पं० हहाप के जोजो टोली में सरना के चहार दिवारी एवं सामुदायिक भवन निर्माण	10.00	10.00	5.00	
6	पं० हहाप के जोजो टोली में 15' व्यास निर्माण	0.60	0.60	0.30	
7	पं० रामपुर के बुहरी टोली में तीन स्थानों पर 1000' ल० गार्डवाल निर्माण	12.00	12.00	6.00	
8	लापुंग में पडडा भवन एवं गंगा उर्वर के घर के निकट चापाकल निर्माण	7.00	7.00	3.50	
कुल योग :-		43.60	43.60	21.80	

कुल विमुक्ति राशि एकीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र।

उप विकास आयुक्त,
रौंची
14/10/2019

जापांक... 835... दिनांक... 21/10/19

प्रतिलिपि:- माननीय श्री परिमल नाथवाणी, सांसद (राज्य सभा) को सूचनार्थ प्रेषित/ कार्यपालक एन0आर0ई0पी0-2 रौंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा रौंची को विमुक्त राशि का चेक तैयार कर उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
रौंची
16/10/19

निदेशिका
राजीर का

उप विकास आयुक्त,
रौंची
14/10/2019

134 / 09-10

राँची समाहरणालय राँची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश

माननीय श्री परिमल नाथवाणी, सांसद (राज्य सभा) द्वारा अनुशासित निम्न योजनाओं के प्राक्कलन पर जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्रदान की गयी है। माननीय सांसद की अनुशासा एवं योजना के प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इन योजनाओं के लिए उपायुक्त, राँची द्वारा निर्मांकित राशों के साथ प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो योजना के लिए भूमि का वैधानिक हस्तान्तरण सरकार के पक्ष में होना चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रायोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना के कार्यान्वयन कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-2 राँची की पर्यवेक्षण में करायेंगे। निर्माण कार्य में कार्य एवं सामग्रियों की गुणवत्ता को ध्यान में कार्य में रखते हुए प्राक्कलन के अनुरूप 03(तीन) माह के अन्दर पूर्ण किया जाय।
5. योजना के निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन, सहायक अभियन्ता, राँची करेंगे एवं कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-2 राँची समुचित दिशा निर्देश उपलब्ध करायेंगे।
6. स्वीकृति योजना यदि किसी अन्य मद से स्वीकृत/ ली गई हो तो इस योजना को अविलम्ब स्थापित करते हुए अधोहस्ताक्षरों को सूचित करेंगे।
7. स्वीकृत योजना की अग्रिम राशि का चेक विकास शाखा के नाजीर से प्राप्त कर लेंगे।

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रा० रा०	प्रशा० स्वी० राशि	अग्रिम की राशि 50%	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प०सिदरील के बड़ा कच्चाली में करम तालाब पर 200 गार्डवाल निर्माण	2.00	2.00	1.00	
2	प० सिदरील के बड़ा कच्चाली में अखरा स्कूल तक 300 प०0मी०मी० पथ निर्माण	3.00	3.00	1.50	
3	प० हहाप के उलीडोह खास में चक डैम के पास गार्डवाल निर्माण	5.00	5.00	2.50	
4	प० हहाप के उलीडोह पतराटोली में पुलिया एवं नरंगा रोड पर गार्डवाल निर्माण	4.00	4.00	2.00	
5	प० हहाप के जोजो टोली में सरना के चहार दिवारी एवं सामुदायिक भवन निर्माण	10.00	10.00	5.00	
6	प० हहाप के जोजो टोली में 15' व्यास निर्माण	0.60	0.60	0.30	
7	प० रामपुर के बुडरी टोली में तीन स्थानों पर 1000' ल० गार्डवाल निर्माण	12.00	12.00	6.00	
8	लापूंग में पडहा भवन एवं गंगा उरॉव के घर के विकट चापाकल निर्माण	7.00	7.00	3.50	
कुल योग :-		43.60	43.60	21.80	

कुल विमुक्ति राशि एकौस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र।

९०/-
उप विकास आयुक्त,
राँची।

नापांक..... 835/10 दिनांक... 24/10/09

प्रतिलिपि:- माननीय श्री परिमल नाथवाणी, सांसद (राज्य सभा) को सूचनार्थ प्रेषित/ कार्यपालक एन0आर0ई0पी0-2 राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा राँची को विमुक्त राशि का चेक तैयार कर उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
राँची।

